

चान्द भाणप्रा अडिज प्रिय ३०/४/२२ नपत्रम् तजीतहिं  
 बाकर वर्ष संख्या २०२२० उपर्युक्त १५८८९ द्वा० १० उच्च  
 राजस्व तालिका द्वारा दिसाम्प्रैक्ट-तालिका द्वारा  
 प्रभान्ते द्वारा दिसाम्प्रैक्ट अविकर्त्तव्यतीति द्वारा  
 आदेश पत्रक

न्यायालय : उपविलापिकारी (तहसील स्तर) न्यायिक  
 मण्डल : कानपुर, जनपद : कन्नौज, तहसील : छिबरामऊ

वाद संख्या : ४८८९/२०२२  
 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : T202203400204889

अजय पाल सिंह बनाम सरकार  
 अन्तर्गत धारा-४०, अधिनियम : उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

### निर्णय

आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिविल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ़ तहसील फर्लखाबाद सदर जनपद फर्लखाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र यत्र प्रस्तुत कर यह याचना की गई है कि स्थित मौजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ की खाता संख्या ०२७५० की गाटा संख्या ३०२०४/०.४०५०८० है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर विद्यालय निर्माण कार्य करेगा एवं उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कृषि कार्य कुकुट पालन मत्स्य पालन बागवानी आदि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि को अकृषित घोषित किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार छिबरामऊ से जॉच करायी गयी। तहसीलदार छिबरामऊ द्वारा अपनी जॉच आख्या दिनांक 24.08.2022 (नय नजारी नववा) प्रस्तुत कर यह अवगत कराया गया है कि आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिविल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ़ तहसील फर्लखाबाद सदर जनपद फर्लखाबाद का नाम खतीनी सन् १४२६-१४३१ की फसली के खाता सं०-०२७५० की गाटा सं०-३०२०४/०.४०५०८० पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। जिसमें आवेदक का ०.४०५०८० हिस्सा है। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा पूर्ण रूप से विद्यालय निर्माण कर प्रशोग में लाया जायेगा। आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिविल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ़ तहसील फर्लखाबाद सदर जनपद फर्लखाबाद के द्वारा विद्यालय निर्माण कराएगा। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कुकुट पालन/मुर्गी पालन का व्यवसाय नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि सुरक्षित भूमि नहीं है तथा ग्राम सभा व धारा-७७ से वाधित नहीं है व सार्वजनिक न्यूसेंस, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्थान्य सुविधा व सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा नहायोजना के अन्तर्गत नहीं है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राज नार्ग/अन्य नार्ग हेतु अधिग्रहीत भूमि नहीं है न ही इस भूमि पर कोई मुआवजा लिया गया है। उक्त भूमि की बौहदी पूर्व में गाटा संख्या ३२०८०, पाइचम मै खेत कलेक्टर सिंह आदि उत्तर में सड़क जल किया गार्ग, दक्षिण में शिशुपाल आदि है। जिसका निर्धारित कुल शुल्क १०१२५रु जमा किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा मूल स्टाम्प मु० १०१२५रु कुल ज्युडिशियल स्टाम्प दाखिल किया गया है। उपरोक्त भूमि को अकृषित घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा संस्तुति की गयी है, अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को अकृषित घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

### आदेश

तहसीलदार छिबरामऊ की उपरोक्त आख्या के आधार पर आवेदक की भूमि स्थित मौजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ की खाता संख्या ०२७५० की गाटा संख्या ३०२०४/०.४०५०८० भूमि को कृषि कार्य, मुर्गी पालन व बागवानी (जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन सम्बद्ध तथा कुकुट पालन भी है) से असन्दृष्ट प्रयोजनार्थ प्रयोग करने के कारण राजस्व लिहिता की धारा-४०(२) के अन्तर्गत अकृषित घोषित किया जाता है तथा निर्धारित मालगुजारी से प्रार्थी को अंशानुसार मुक्त किया जाता है। नजारी नववा आदेश का अंग होगा। आदेश की एक प्रति तहसीलदार छिबरामऊ को नियमानुसार अग्रिमेत्यै मै अमलदरान्द हेतु व एक प्रति उपनिवन्धक छिबरामऊ को भेजी जावे। याद जावश्यक कार्यवाही पत्रावली सचित अग्रिमेत्यै की जावे।

५२१ ११३

पृष्ठ संख्या : सत्य - अद्वितीय

(रामेश कुमार त्यागी)  
 उप जिलाधिकारी(न्यायिक)  
 छिबरामऊ

४०१८/२१  
 ३०/४/२१  
 ३०/४/२१  
 ५३१२

पर जि. संविस्तुत/उप जिलाधिकारी  
 छिबरामऊ, कामगार

मात्रा-०५-५

अनुमति दिनांक इनिल २६.८.२२ अनुच्छवी संख्या अप्रैल कात वर्ष  
संख्या- ५७२२०३३५ ०००२०३१ दरा- ४० रा. अधिकारी का जनपक्षका  
गतिशील प्रयोग देहात भाग- नामांक लृहसील  
चित्रामृ चतुर्पालप्रयोगका एवं चित्रामृ आदेश-प्रबन्ध

न्यायालय : उपजिलाधिकारी, छिवरामृ  
मण्डल : कानपुर, जनपद : कानपुर, तहसील : छिवरामृ  
वाद संख्या : २०३१/२०२२  
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : D202203390002031  
अज्यवास्तु तिथि : बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा : ४०, अधिनियम : उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

### निर्णय

आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रवेनाथ सिंह यादव निवासी सिविल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ़ तहसील फर्जखाबाद सदर जनपद कर्जखाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र नय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह याचना की गई है कि स्थित नीजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिवरामृ को खाता संख्या ०२९६३ की गाटा संख्या ३०२०३/०.४०५०४० में से ०.०८१०४० हिस्सा है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर विद्यालय निर्माणाधीन है एवं उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कृषि कार्य कुंकुम पालन, मत्स्य पालन वागवानी आदि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि को अकृषित घोषित किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार छिवरामृ से जाँच करायी गयी। तहसीलदार छिवरामृ द्वारा अपनी जॉब आउट दिनांक 24.08.2022 (नय नजरी नक्शा) प्रस्तुत कर यह अवगत कराया गया है कि आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रवेनाथ सिंह यादव निवासी सिविल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ़ तहसील फर्जखाबाद सदर जनपद फर्जखाबाद का नाम खटीनी सन् 1426-1431 की फसली के खाता रु०-०२९६३ की गाटा रु०-३०२०३/०.४०५०४० पर बटीर संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। जिसमें आवेदक का ०.०८१०४० हिस्सा है। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा पूर्ण रूप से विद्यालय निर्माण कर प्रयोग में लाया जायेगा। आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रवेनाथ सिंह यादव निवासी सिविल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ़ तहसील फर्जखाबाद सदर जनपद फर्जखाबाद के द्वारा विद्यालय निर्माण करवायेगा। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कुंकुम पालन/मुर्गी पालन का व्यवसाय नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि सुरक्षित भूमि नहीं है तथा ग्राम सभा व धारा-७७ से वाधित नहीं है व सार्वजनिक न्यूसेंस, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्थान्य सुविधा व सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा महायोजना के अन्तर्गत नहीं है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग/अन्य मार्ग हेतु अधिग्रहीत भूमि नहीं है न ही इस भूमि पर कोई मुआवजा लिया गया है। उक्त भूमि की ऊँहदी पूर्व में खेत लज्जाराम, पश्चिम में खेत अजयपाल तिह, उत्तर में जल किया मार्ग, दक्षिण में गाटा संख्या ३०२०५० है। जिसका निर्धारित कुल शुल्क २०२५रु० जमा किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा मूल स्टाम्प मु० २०२५रु० कुल ज्यूडिशियल स्टाम्प दाखिल किया गया है। उपरोक्त भूमि को अकृषित घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा संस्तुति की गयी है, अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को अकृषित घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

### आदेश

तहसीलदार छिवरामृ की उपरोक्त आउट के आधार पर आवेदक की भूमि स्थित नीजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिवरामृ की खाता संख्या ०२९६३ की गाटा संख्या ३०२०३/०.४०५०४० में से ०.०८१०४० हिस्से की भूमि को कृषि कार्य, मुर्गी पालन व वागवानी (जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन सम्बद्ध तथा कुंकुम पालन भी है) से उत्तम प्रयोजनार्थ प्रयोग करने के कारण राजस्व संहिता की धारा-४०(१) के अन्तर्गत अकृषित घोषित किया जाता है तथा निर्धारित मालगुजारी से प्रार्थी को अंशानुसार मुक्त किया जाता है। नजरी नक्शा आदेश का अंग होगा। आदेश की एक प्रति तहसीलदार छिवरामृ को नियनानुसार अभिलेखों में अमलदरामद हेतु व एक प्रति उपनिवेशक छिवरामृ को भेजी जावे। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार की जावे।

संदर्भ - प्रतिलिपि

३०८५८९२  
१०८१८/२२

१०८१८/२२  
१०८१८/२२

१०८१८/२२  
१०८१८/२२  
१०८१८/२२

१०८१८/२२

१०८१८/२२

१०८१८/२२

नाम्बर दापाड़ारी अडिक्षा शिल्प २०१८/२ अप्रैल तक राजस्थान वाइप्रेस्ट्रोड २०२२-३०१९/२०२१-२०२२ का दावलि कावेरी राज्य एवं भौदा-तालग्राम डिटॉर्म अमृत तालग्राम न्यायबद्ध उपनिवेश (जामिन) छिवाल

न्यायालय : उपनिवेशपिकारी (तहसील स्तर) न्यायिक  
मण्डल : कानपुर, जनपद : कन्नौज, तहसील : छिवाल  
वाट संख्या : ४८८८/२०२२

कंप्यूटरीकृत वाट संख्या : T202203400204888

अजयपाल सिंह बालाम सरकार

अन्तर्गत धारा- ८०, अधिनियम : उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

### निषेद्ध

आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिविल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ़ तहसील फर्लखाबाद सदर जनपद फर्लखाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह याचना की गई है कि स्थित मौजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिवालमऊ की खाता संख्या ०३००९ की गाटा संख्या ३०२०च / ०३२४०८० है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर विद्यालय निर्माण कार्य करेगा एवं उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कृषि कार्य कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन बागवानी आदि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि को अकृषित घोषित किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार छिवालमऊ से जॉच करायी गयी। तहसीलदार छिवालमऊ द्वारा अपनी जॉच आख्या दिनांक 24.08.2022 (मय नजरी नवशा) प्रस्तुत कर यह अवगत कराया गया है कि आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिविल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ़ तहसील फर्लखाबाद सदर जनपद फर्लखाबाद का नाम खतीनी सन् १४२६-१४३१ की फसली के खाता सं०-०३००९ की गाटा सं०-३०२०च / ०३२४०८० पर बतौर सक्रमणीय भूमिधर अंकित है। जिसमें आवेदक का ०.३२४०८० हिस्सा है। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा पूर्ण रूप से विद्यालय निर्माण कर प्रयोग में लाया जायेगा। आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिविल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ़ तहसील फर्लखाबाद सदर जनपद फर्लखाबाद के द्वारा विद्यालय निर्माण कराएगा। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कुक्कुट पालन/मुर्गी पालन का व्यवसाय नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि सुरक्षित भूमि नहीं है तथा ग्राम सभा व धारा-७७ से वाधित नहीं है व सार्वजनिक न्यूसेंस, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्थानस्थ सुविधा व सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा महायोजना के अन्तर्गत नहीं है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग/अन्य मार्ग हेतु अधिग्रहीत भूमि नहीं है न ही इस भूमि पर कोई मुआवजा लिया गया है। उक्त भूमि की औहदी पूर्व में खेत केता अजयपाल, पश्चिम में खेत कल्लू उत्तर में शेष आराजी गाटा संख्या ३०२०, दक्षिण में गाटा संख्या ३०२० है। जिसके निर्धारित कुल शुल्क ८१०००० जमा किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा मूल स्टाम्प मुद्रा ८१०००० कुल ज्यूडिशियल स्टाम्प दाखिल किया गया है। उपरोक्त भूमि को अकृषित घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा संस्तुति की गयी है, अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को अकृषित घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

### आदेश

तहसीलदार छिवालमऊ की उपरोक्त आख्या के आधार पर आवेदक की भूमि स्थित मौजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिवालमऊ की खाता संख्या ०३००९ की गाटा संख्या ३०२०च / ०३२४०८० भूमि को कृषि कार्य, मुर्गी पालन व बागवानी (जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन सम्बद्ध तथा कुक्कुट पालन भी है) से असम्बद्ध प्रयोजनार्थ प्रयोग करने के कारण राजस्व संहिता की धारा-८०(२) के अन्तर्गत अकृषित घोषित किया जाता है तथा निर्धारित मालगुजारी से प्रार्थी को अंशानुसार मुक्त किया जाता है। नजरी नवशा आदेश का अंग होगा। आदेश की एक प्रति तहसीलदार छिवालमऊ को निवासी अभिलेखों में अमलदरामद हेतु व एक प्रति उपनिवेशक छिवालमऊ को भेजी जावे। यदि आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार की जावे।

पृष्ठ संख्या :

112

श्री छिवालमऊ कामीनी क्रमांक  
30/18/22  
30/18/22  
30/18/22  
5-13-

सत्य - प्रतिलिपि

ए पंजीयन विभाग  
प्रश्नगत भूमि को अकृषित किया जावे।

३०-८-२२  
(श्रेष्ठ वृजीरत्न त्यागी)  
उप निवासी (न्यायिक)  
छिवालमऊ

न्यायिक-६८१८४